नियमावली

1. संस्था का नाम : राजनारायण एजुकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पता : ग्रा० दरापुर (तियरा) पो०-तियरा, तह० बदलापुर, जिला-जौनपुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

संस्था की सदस्यता निम्नवत होगी।

आजीवन सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 2000/-रु0 नगद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल अचल सम्पत्ति एक बार में देगें वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेगें।

सामान्य सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 101/-रु0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप मे जमा करेगें वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेगें।

5. सदस्यता की समाप्ति : निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।
   1. मृत्यु हो जाने पर।
   2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
   3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
   4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग-पत्र प्राप्त होने पर।
   5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
   6. लगातार तीन बैठको में अनुपस्थित रहने पर।
   7. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

6. संस्था के अंग : (अ) साधारण सभा
   (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभा

(क) गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नं. चार के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

(ख) बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्कतानुसार किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

(ग) सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक के लिए सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सभी सदस्यो को लिखित रूप से दी जायेगी।

(घ) गणपूर्ति : साधारण सभा की सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की गणपूर्ति 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि
डिप्टी सहायक निबन्धक
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

(ङ.) संस्था का वार्षिक अधिवेशन:– संस्था का वार्षिक अधिवेशन वर्ष मे एक बार संस्था के कार्यालय पर हुआ करेगी।

(च) साधारण सभा के कर्तव्य:–

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा विचार के लिये भेजे गये प्रस्तावो मामलों आदि पर विचार करना।
2. संस्था की स्थापना नीति, उसके कार्यक्रमों और योजनाओं का निर्धारण करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन करना।
4. संस्था के नियमों एवं विनियमो में संशोधन प्रक्रिया के लिये स्वीकृति प्रदान करना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति:–

(क) गठन :– प्रबन्धसमिति का गठन साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा किया जायेगा जिसमे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक / सचिव, कोषाध्यक्ष, के अलावा 3 प्रबन्ध समिति के सदस्य होंगे।

(ख) बैठके प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष आवश्यक बैठक किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

(ग) सूचना अवधि प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 7 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 1 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(घ) गणपूर्ति :– प्रबन्ध समिति की सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति मे पूर्ण मानी जायेगी।

(ङ.) रिक्त स्थानों की पूर्ति :– प्रबन्धकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा साधारण सभा के सदस्यों में से किसी योग्य सदस्य का निर्वाचन शेष अवधि के लिये कर लिया जायेगा।

(च) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य व अधिकार:–

1. संस्था के बजट पर विचार कर उसे स्वीकृत करना।
2. संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिये उपसमितियों का गठन करना।
3. संस्था के लिये दान, अनुदान, चन्दे आदि प्राप्त करना।
4. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पदोन्नति करना तथा निष्कासित करना।

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता